उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1976)

THE UTTAR PRADESH FRUIT NURSERIES (REGULATION) ACT, 1976

(U.P. Act No. 21 of 1976)

उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1976]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 मई, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 29 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 17 मई, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 20 मई, 1976 को प्रकाशित हुआ ।]

उत्तर प्रदेश राज्य में फल पौधशालाओं को लाइसेंस देने और उनके विनियमन का उपबन्ध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :——

संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 कहालायेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह ऐसे दिनांक[2] से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते है ।

परिभाषायें

2–इस अधिनियम में ——

(क) "अपील प्राधिकारी" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन अपील सुनने के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नियुक्त किए गये प्राधिकारी से है ;

(ख) "फल पौधशाला" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां प्रतिरोपण के लिये फल के पौधों का उत्पादन और विक्रय कारोबार के नियमित अनुक्रम में किया जाता हो, किन्तु उसके अन्तर्गत ——

(i) 0.2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के फल पौधशाला नहीं है ;

(ii) सरकार की या उसके द्वारा प्रबन्धित पौधशाला नहीं है ;

(ग) "फल के पौधे" का तात्पर्य किसी ऐसे पौधे से है जो खाने योग्य फल या गिरीदार फल उत्पादित कर सकते है, और उसके अन्तर्गत कुडन् काष्ठ, बीजांकुर उपरोपण, टब्बा, गुट्टा, बाज, कन्द, सकर, प्रकन्द [आंख वाली टहनी, बीजू पौध, कलम बांधना, दाब डाली, गुट्टी बीज कन्द, अंकुर, प्रकन्द (राइजोम)] और ऐसे किसी पौधे की कलम भी है ;

(घ) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन दिये गये लाइसेंस से है ;

(ङ) "लाइसेंसधारी" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त कोई लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति से है ;

---

1. उद्देश्य व कारणों के विवरण के लिये दिनांक 29 अप्रैल, 1976 का उत्तर प्रदेशीय प्रसाधारण गजट देखिए ।

2. इस अधिनियम के समस्त उपबन्ध विज्ञप्ति संख्या 3674/12 (4)–175–75 लखनऊ 30 जून, 1976 के अधीन दिनांक 1 जुलाई 1976 से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है ;

(च) "लाइसेंस प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग उत्तर प्रदेश से है तथा इसके अन्तर्गत निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी के किसी या सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिये ऐसे अधिकारी से भी है जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से निम्न न हो ;

(छ) "स्वामी" का तात्पर्य किसी फल पौधशाला के संबंध में उस व्यक्ति या प्राधिकारी से है जिसका ऐसी फल पौधशाला के कार्य कलाप पर अंतिम नियंत्रण हो, और उसके अन्तर्गत ऐसे फल पौधशाला का प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध अभिकर्ता, या कोई अन्य प्रभारी व्यक्ति भी है ;

(ज) "मूल वृन्त" का तात्पर्य किसी ऐसे फल के पौधे या उसके भाग से है जिस पर किसी फल के पौधे के किसी भाग के कलम या आंख लगायी जाती है ;

(झ) "उपरोपिका" का तात्पर्य किसी फल के पौधे के ऐसे भाग से है जो मूल वृन्त पर कलम या आंख के रूप में लगाया जाता है ;

फल पौधशाला का कारोबार चालाने पर निर्बन्धन

3–(1) कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक के पश्चात् या उस दिनांक से जब वह किसी फल पौधशाला का प्रथम बार स्वामी बनता है, उनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो, तीन माह की समाप्ति के पश्चात् सिवाय इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत लाइसेंस के निबन्धनों तथा शर्तो के अधीन और उनके अनुसार फल पौधशाला का कारोबार संचालित नहीं करेगा और न उसे जारी रखेगा ।

(2) जहां एक व्यक्ति के स्वामित्व में एक से अधिक फल पौधशाला हो, चाहे एक ही नगर या ग्राम में या विभिन्न नगरों या ग्रामों में वहां ऐसी प्रत्येक फल पौधशाला के संबंध में अलग–अलग लाइसेंस दिये जायेगे।

लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र

4–(1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस के लिये प्रत्येक आवेदन–पत्र, लाइसेन्स प्राधिकारी को विहित प्रपत्र में, और विहित फीस के साथ दिया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा, यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि ––

(क) वह फल पौधशाला ऐसे फल के पौधो के, जिनके संबंध में लाइसेंस दिये जाने के लिये आवेदन किया गया है, उचित उत्पादन के उपयुक्त नहीं है ;

(ख) आवेदक ऐसी फल पौधशाला को संचालित करने के लिये सक्षम नहीं है ;

(ग) आवेदन–पत्र के साथ विहित फीस नहीं दी गयी है ;

(घ) आवेदक इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध–दोष हुआ है ।

लाइसेंस की अवधि और उसका नवीकरण

5–(1) धारा 4 के अधीन दिया गया लाइसेंस ऐसी अवधि के लिये विधिमान्य होगा जो विहित की जाय और उसको इस निमित्ति आवेदन–पत्र देने और विहित फीस देने पर लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा ऐसी अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है जो विहित की जाय ।

(2) इस अधिनियम के अधीन दिया गया कोई लाइसेंस नवीकृत नहीं किया जायगा, यदि लाइसेंस प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि :––

(क) धारा 4 की उपधारा (2) मे उल्लिखित कोई आधार विद्यमान है ;

(ख) लाइसेंसधारी ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या लाइसेसं के निबन्धनों और शर्तो के किसी उपबन्ध का जानबूझ कर उल्लंघन किया है ;

लाइसेंस का निलम्बन और रद्द किया जाना

6–(1) इस अधिनियम के अधीन दिया गया लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेन्स प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि :––

(क) धारा 5 की उपधारा (2) में उल्लिखित कोई आधार वर्तमान है ; या

(ख) लाइसेंसधारी ने फल पौधशाला पर कब्जा या नियंत्रण पूर्णतः या अंशतः छोड़ दिया है या उसे चलाना बन्द कर दिया है ।

(2) जहां कोई लाइसेंस निलम्बित या रद्द किया जाय वहां लाइसेसंधारी उसके लिये न तो किसी प्रतिकर का और न लाइसेंस के लिये अपने द्वारा दी गयी किसी फीस की वापसी का हकदार होगा ।

आदेश में कारण दिये जायेंगे

7–(1) धारा 4 के अधीन लाइसेंस देने से इंकार करने का, या धारा 5 के अधीन लाइसेंस का नवीकरण करने से इंकार करने का, या धारा 6 के अधीन लाइसेंस को निलम्बित या रद्द करने का प्रत्येक आदेश लिखित रूप मे होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेंगे, और ऐसा प्रत्येक आदेश आवेदक या सम्बद्ध लाइसेंसधारी को संसूचित किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश देने के पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी, यथास्थिति आवेदक या लाइसेंसधारी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर देगा ।

लाइसेंस की दूसरी प्रति

8–जहां कोई लाइसेंस खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय, वहां लाइसेंस प्राधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर, लाइसेंस की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

अपील

9–(1) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेसं देने से इंकार करने के, या धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उसे नवीकृत करने से इंकार करने के, या धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने के लाइसेंस प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर, अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है ;

परन्तु अपील प्राधिकारी इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि उसका समाधान हो जाय कि अपीलार्थी अपील को समय पर पर्याप्त कारण–वश दायर नहीं कर सका था ।

(2) अपील प्राधिकारी, अपीलार्थी की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील पर ऐसा आदेश देगा जिसे वह उचित समझे ।

(3) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश, धारा 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।

राज्य सरकार की अभिलेख मंगाने की शक्ति

10–(1) राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या व्यथित व्यक्ति द्वारा आवेदन–पत्र देने पर, किसी भी समय, इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ, किसी मामले का अभिलेख मंगा सकती है और उसकी परीक्षा कर सकती है और उस पर ऐसा आदेश दे सकती है जिसे वह उचित समझे ;

परन्तु राज्य सरकार, धारा 9 के अधीन किसी अपील के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी अपील के लिये निर्धारित समय–सीमा की समाप्ति के पूर्व, इस धारा के अधीन शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी ;

परन्तु यह और कि ऐसे मामले में, जिसमें राज्य सरकार स्वप्रेरणा से किसी मामले का अभिलेख मंगाती है, इस धारा के अधीन कोई आदेश, जिससे किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तब तक नहीं देंगी, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर न दिया गया हो ।

(2) इस धारा के अधीन दिया गया कोई आदेश अन्तिम होगा ।

लाइसेंसधारी के कर्तव्य

11–प्रत्येक लाइसेंसधारी ––

(क) उत्पादन और विक्रय के लिये उपरोपिका या मूल वृत्त से संबंधित, लाइसेंस में विनिर्दिष्ट किस्मों में से केवल ऐसी किस्मों के ही फल के पौधे लगायेगा जैसा लाइसेसं प्राधिकारी निर्देश दे ;

(ख) प्रत्येक मूल वृत्त और प्रत्येक उपरोपिका के मूल या स्त्रोत का पूर्ण अभिलेख रखेगा जिसमें निम्नलिखित बातें दी जायेगी :––

(1) प्रयुक्त मूल वृत्त का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो ;

(2) फल के पौधों को उगाने में प्रयुक्त उपरोपिका का वानस्पतिक नाम और स्थानीय नाम, यदि कोई हो ;

(ग) फल के पौधों के उत्पादन के लिये प्रयुक्त पौधशाला स्थल और पितृ वृक्ष को भी कीट, नाशिकीट और पौधों के रोगो से मुक्त रखेगा ;

(घ) फल के पौधे ऐसी रीति से तैयार करेगा जैसा लाइसेंस प्राधिकारी निर्देश दें ;

(ङ) विक्रय के लिये अभिप्रेत किसी पैकेज में अवेष्टित प्रत्येक किस्म के फल के पौध का नाम और विहित रीति में, यथा अवधारित उसकी आयु, उसके लेबिल पर स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जायगी ;

(च) विक्रय या वितरण के लिये केवल ऐसे फल के पौधे देगा जो किसी प्रकार के कीट, नाशिकीट या पौधों के रोग से पूर्णतया मुक्त हों ।

लाइसेंसधारी लेखा बही, रजिस्टर आदि रखेगा

12–प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से लेखाबही, रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जो विहित की जाय ।

कतिपय फल के पौधों का आयात निर्यात या परिवहन को विनियमित या प्रतिषिद्धि करने की राज्य सरकार की शक्ति

13–राज्य सरकार, राज्य के किसी भाग में उगाये गये किसी फल के पौधे की विशेषता को बनाये रखने या हानिकारक कीट, नाशिकीट या पौधों के रोग से उनका संरक्षण करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह विनिर्दिष्ट करे, अज्ञात नसल (अभिजाति) के या किसी सांक्रामिक या सांसर्गिक नाशिकीट या रोग से प्रभावित किन्हीं फल के पौधों को राज्य या उसके किसी भाग में लाने या उसके बाहर ले जाने, या राज्य के भीतर उनका परिवहन करने को विनियमित या प्रतिषिद्ध कर सकती है ।

शास्ति

14–जो कोई भी अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध–दोष होने पर जुर्माने से, जो रू0 5,000 तक हो सकता है, अथवा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकती है, अथवा दोनो, से दन्डनीय होगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

15–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दण्ड दिए जाने का भागी होगा ;

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के लिये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये दोषी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दन्ड दिये जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण–इस धारा के प्रयोजनार्थ :––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के संबंध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

अपराधों का संज्ञान

16–इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये, सिवाए लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी शिकायत पर, कोई अभियोजन संस्थित नही किया जायगा ।

लाइसेंस प्राधिकारी की शक्ति

17–लाइसेंस प्राधिकारी ––

(क) किसी लाइसेसंधारी से उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाई जा रही फल पौधशाला के संबंध में ऐसी सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है जिसे वह विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) अपना यह समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जा रहा है, किसी फल पौधशाला मे प्रवेश कर सकता है और उसका और उसमें स्थित फल के पौधों का और उससे संबंधित लेखा–बही और अभिलेख का निरीक्षण कर सकता है या करा सकता है ;

(ग) फल के पौधों का नमूना ले सकता है और उनका विश्लेषण, परीक्षण या जांच इस प्रयोजन के लिये निश्चित की गई किसी प्रयोगशाला मे करा सकता है ।

सद्भाव से किए गये कार्य का संरक्षण

18–(1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमो के अधीन सद्भाव से किए गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नही की जा सकेगी ।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भाव से किए गये या किये जाने के लिये आशयित किसी बात से हुई या सम्भावित क्षति के लिये राज्य सरकार के विरूद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

आदेश विषयक अपवाद

19–इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी शक्ति के प्रयोग में दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेंगी।

राज्य सरकार द्वारा निर्देश

20–लाइसेंस प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में नीति संबंधी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर जारी करे ।

नियम

21–इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में फीस विहित करने के लिये कोई नियम भी है ।